

13 ¹²/₂₂

आज यह पत्रावली पेश हुई। कोई भी
उप. नहीं है। वादी वकील को एक वादी
को बार-बार आवाज लगाए रहे। मर
उप. नहीं आये। वादी वकील व वादी के मुद्दे
रहने से पत्रावली अदम हाजरी अदम पत्र
में खारिज की जाती है। पत्रावली के लिए
शुमार होकर नम्बर से कम है। वाद शुरू
होने पर दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०